संख्या:39/2026/516/35-4-2026/ 35-4002(003)/65/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-शामली में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **2219.15** लाख (रूपये **बाईस करोड़ उन्नीस लाख पन्द्रह हजार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **558.00** लाख (रूपये **पांच करोड़ अट्ठावन लाख** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	कस्बा बनत में विनोद मेम्बर के मकान के सामने से शमशानघाट की और सी०सी०/सी०सी० टाईल्सरोड निर्माण कार्य।	425	24.68	6.00	ग्रा0अ0वि0
2	ग्राम अम्बेहटा में मेन रास्ते पर तैयब के मकान से इलमा के मकान तक व सहायक गली मेंसमसीर सचिन के मकान से मोमीन के मकान तक सी०सी०/सी०सी० टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	201	16.05	4.00	ग्रा0अ0वि0
3	ग्राम कंजरहेरी में विनोद पुत्र सेवाराम के मकान से पचांयत घर की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	15.52	4.00	ग्रा0अ0वि0
4	ग्राम करमू खेडी ओमविहार में रॉकगोल्डं वाले रास्ते से गांव करमू खेडी की ओर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर तक सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	300	31.11	8.00	ग्रा0अ0वि0
5	ग्राम करमू खेडी में रामपुरम में कैराना रोड पर अजय के मकान से प्रदीप कुमार के मकान की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	205	18.85	5.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6	ग्राम कुडाना में समरपाल के मकान से साईफन की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	14.27	4.00	ग्रा0अ0वि0
7	ग्राम खन्द्रावली मजरा साल्हाखेडी मे मेन रास्ते से सतीधाम की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	200	13.14	3.00	ग्रा0अ0वि0
8	ग्राम खेडी करमू में विजय मलिक के बाग से सेंट फ्रांसिस की गली की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	20.01	5.00	ग्रा0अ0वि0
9	ग्राम गंगेरू में तालाब के कोने से इस्सोपुर मार्ग तक सी०सी०/सी०सी० टाईल्स रोडनिर्माण कार्य।	325	19.1	5.00	ग्रा0अ0वि0
10	ग्राम गढीश्याम में रामचन्द्र के मकान से मनोज के घेर की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	11.24	3.00	ग्रा0अ0वि0
11	ग्राम चढाव में सतबीर पुत्र हरपाल सिंह के मकान से नफे सिंह चैयरमेन व रविन्द्र प्रधान जी के मकान की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	300	17.98	4.00	ग्रा0अ0वि0
12	ग्राम बहावडी में भिक्का माजरा-शामली मार्ग से शमशान वाले रास्ते पर मांगेराम के मकान तक पुरानी सी०सी० की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	18.59	5.00	ग्रा0अ0वि0
13	ग्राम भनेडा एलम में चौराहे पर अमरपाल की दुकान से मैरिज हॉल की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	205	21.76	5.00	ग्रा0अ0वि0
14	ग्राम भभीसा में जू० हाईस्कूल की पीछे की दीवार से लड्डू तालाब तक सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य ।	560	32.24	8.00	ग्रा0अ0वि0
15	ग्राम भाज्जू में बाबा की मूर्ति से छोटे कुम्हार के मकान की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	10.69	3.00	ग्रा0अ0वि0
16	ग्राम भिक्का माजरा में पुरानी सी०सी० से अण्डर पास की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	14.00	4.00	ग्रा0अ0वि0
17	ग्राम रामपुर खेडी गढ गौसांई में बृजभूषण शर्मा के मकान से तालाब की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	203	11.11	3.00	ग्रा0अ0वि0
18	ग्राम लांक पट्टी साहलान में हरबीर सिंह के मकान से लक्ष्मण के मकान की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	205	12.22	3.00	ग्रा0अ0वि0
19	नगर पालिका शामली के डी.के कालोनी में रजवाहे	290	38.66	10.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	की पुलिया पर नेत्रपाल की दुकान से रेलवे लाईन की ओर गौरव के मकान तक सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।				
20	नगर पालिका शामली के वार्ड नं0 11में मेन रोड से योगेश लाला के मकान की ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	210	21.22	5.00	ग्रा0अ0वि0
21	नगर पालिका शामली जाट कॉलोनी में अमित के मकान से दीपचन्द के मकान तक ओर सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	270	25.99	6.00	ग्रा0अ0वि0
22	नगर पालिका शामली में जाट कॉलोनी में शंकर इस्टीट्यूट से विनोद पटवारी के मकान तकसी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	250	25.23	6.00	ग्रा0अ0वि0
23	नगरपालिका शामली वार्ड नं0 20 कृष्णकुंज में विकास के मकान से सुशील कश्यप के मकान की ओर सी०सी०/इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	208	22.14	6.00	ग्रा0अ0वि0
24	शामली तहसील चौराहे से आगे दिल्ली-सहारनपुर बाईपास रोड पर मा० सेवाराम आदि के खेत केपास से मेरठ-करनाल रोड पर अम्बा विहार के पास में मेन रोड तक सी०सी०/ इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	550	32.37	8.00	ग्रा0अ0वि0
25	ग्राम मखमूलपुर में काली सडक से शिव मंदिर की ओर सी0सी0/इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य।	200	16.61	4.00	ग्रा0अ0वि0
26	ग्राम सिलावर में पी०एम०जी०एस०वाई० रोड के दोनो इ०ला० निर्माण कार्य।	501	35.48	9.00	ग्रा0अ0वि0
27	ग्राम ईस्सोपुरटील से टांडा की ओर सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	700	35.3	9.00	ग्रा0अ0वि0
28	ग्राम खुरगान में मोलवी अफसर के मकान से उमरदीन के मकान तक इन्टरलोकिंग टाईल/नालीनिर्माण कार्य।	362	39.4	10.00	ग्रा0अ0वि0
29	ग्राम खोड़समा में इन्टरलोकिंग टाईल / नाली निर्माण कार्य।	230	14.37	4.00	ग्रा0अ0वि0
30	ग्राम गंदराऊ में गंदराऊ से कैराना सूम्पर्क मार्ग पर इन्टरलोकिंग टाईल/नाली निर्माणकार्य।	265	22.02	6.00	ग्रा0अ0वि0
31	ग्राम गढ़ीरक्खा से ईस्सोपुरटील सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	800	39.6	10.00	ग्रा0अ0वि0
32	ग्राम गुज्जरपुर से फतेहपुर सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	700	34.27	9.00	ग्रा0अ0वि0
33	ग्राम जसाला से नान्नुपुरी सम्पर्क मार्ग पर	800	39.73	10.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	डामरीकरण कार्य।				
34	ग्राम जहानपुरा से आल्दी सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	800	39.21	10.00	ग्रा0अ0वि0
35	ग्राम झाड़खेड़ी में मैन रोड़ से ऊंचागांव सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	502	25.32	6.00	ग्रा0अ0वि0
36	ग्राम डून्डूखेड़ा से सहपत सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य।	700	35.11	9.00	ग्रा0अ0वि0
37	ग्राम दभेडी खुर्द में जमशेद प्रधान के मकान से शेरसिंहू के मकान तक इन्टरलोकिंगटाईल/नाली निर्माण कार्य।	338	24.37	6.00	ग्रा0अ0वि0
38	ग्राम दाढ़ी नगर से सहारनपुर सीमा की ओर डामरीकरण कार्य।	860	43.18	11.00	ग्रा0अ0वि0
39	ग्राम पठेड में पठेड से मंसूरा लिंक मार्ग पर इन्टरलोकिंग टाईल/नाली निर्माण कार्य।	513	39.82	10.00	ग्रा0अ0वि0
40	ग्राम मिमला जसाला लिंक मार्ग से रसूलपुर मिमला लिंक रोड पर इन्टरलोकिंग टाईल/साईडवालनिर्माण कार्य।	505	32.5	8.00	ग्रा0अ0वि0
41	विकास खण्ड कैराना के ग्राम टिटौली में प्रमोद कश्यप पुत्र इन्द्र कश्यप के मकान से बाबूराम हरिजन पुत्र हरदेवा के मकान की ओर इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	250	19.65	5.00	ग्रा0अ0वि0
42	विकास खण्ड शामली के ग्राम कुडाना में कृष्ण के मकान से सतेन्द्र के मकान की ओर इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	250	34.75	9.00	ग्रा0अ0वि0
43	विकास खण्ड ऊन के ग्राम ओदरी में बारात घर से लेकर बाबर के मकान कि ओर इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	200	15.20	4.00	ग्रा0अ0वि0
44	विकास खण्ड ऊन के ग्राम टपराना का मजरा गुज्जरपुर में रजवाहे से लेकर नौशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	350	24.24	6.00	ग्रा0अ0वि0
45	विकास खण्ड ऊन के ग्राम मंसूरा में डा०सागर के मकान से रियासत के मकान कि ओर इण्टरलाकिंग सडक निर्माण कार्य।	200	13.51	3.00	ग्रा0अ0वि0
46	ग्रामखेडा गदाई के मुख्य मार्ग से श्मशान घाट होते हुए खाले (नाला) के पुल से प्रकाशपुत्र खसारा के खेत तक बाईपास	750	50.07	13.00	ग्रा0अ0वि0
47	ग्रामखेडा गदाई में पशु चिकित्सालय से वाया राजीव मलिक के मकान से गिरिराज पुत्र रामनारायण के घेर तक	900	70.96	18.00	ग्रा0अ0वि0
48	ग्रामखेडा गदाई में राजीव मलिक के मकान से चंद्रपाल पुत्र बेगा के मकान तक	500	34.91	9.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

49	ग्रामयारपुर में दिनेश के मकान से ओमबीर की दुकान तक	500	40.5	10.00	ग्रा0अ0वि0
50	ग्रामयारपुर में देवेन्द्र के मकान से नरेन्द्र के मकान तक	500	41.08	10.00	ग्रा0अ0वि0
51	ग्रामयारपुर में शिवचरण के मकान से राजपाल कबूल के मकान तक	500	39.95	10.00	ग्रा0अ0वि0
52	ग्राम खेदा गदई, वि0खण्ड थानाभवन में खाले के पुल (चन्द्रपाल-साहब सिंह) के घेर के पास स्थित पुल से बुनटा रजवाहा तक काली सडक निर्माण कार्य	1800	100.58	25.00	ग्रा0अ0वि0
53	ग्राम मालैण्डी, वि0ख0 ऊन में मालैण्डी से नयाँगांव टिटौली मार्ग पर इंटरलाकिँग सडक निर्माण कार्य	200	14.45	4.00	ग्रा0अ0वि0
54	ग्राम भैंसवाल में बस स्टैण्ड से शिव मंदिर राज0 पुल की ओर सडक के दोनो ओर इन्टरलोकिंग सडक निर्माण कार्य।	250	27.82	7.00	ग्रा0अ0वि0
55	ग्राम रघुनाथपुर में सुदेशपाल के मकान से बालीस्टर के मकान की ओर इन्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	216	18.39	5.00	ग्रा0अ0वि0
56	ग्राम जलालपुर में सलेक के मकान से गणेश के मकान की ओर इन्टरलोकिंग सडक/नालीनिर्माण कार्य।	250	21.61	5.00	ग्रा0अ0वि0
57	ग्राम टिटौली में श्रीपाल प्रधान के मकान से खेल मैदान की ओर इन्टरलोकिंग सडक/नाली निर्माण कार्य।	300	21.74	5.00	ग्रा0अ0वि0
58	ग्राम ताना में शिव मन्दिर से प्रीतम के घेर की ओर सी.सी. सडक/नालीनिर्माण कार्य।	210	29.13	7.00	ग्रा0अ0वि0
59	ग्राम दुलावा में धनसिंह के मकान से ऋषिपाल के मकान की ओर इन्टरलाकिंग सड़क/नालीनिर्माण कार्य।	250	21.27	5.00	ग्रा0अ0वि0
60	ग्रामधनेना में विनोद के मकान से तुलसी के मकान की ओर सी.सी. सड़क/नालीनिर्माण कार्य।	210	15.09	4.00	ग्रा0अ0वि0
61	ग्राम बुटराडा में प्राईमरी पाठशाला से दिलशाद के मकान की आर इन्टरलोकिग टाईल सडक/नालीनिर्माण कार्य।	210	16.15	4.00	ग्रा0अ0वि0
62	ग्रामभैसानी इस्लामपुर में वक्कार के मकान से बाईपास तक इन्टरलोकिंग सडक/नालीनिर्माण कार्य।	200	17.68	4.00	ग्रा0अ0वि0
63	ग्राम सोंटा में भूमिया से गोवर्धन के मकान की ओर सी.सी. सडक/नाली निर्माण कार्य।	210	29.86	7.00	ग्रा0अ0वि0
64	ग्राम सोंटा रसूलपुर में आमिल पब्लिक स्कूल से उम्मेद के मकान की ओर इन्टरलोकिंग	300	24.07	6.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	सडक/नाली निर्माण कार्य।				
65	ग्राम कैडी में कृष्णा नदी पर कब्रिस्तान के सामने रपटा एवं सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	290	114.93	29.00	ग्रा0अ0वि0
66	जलालाबाद में कृष्णा नदी उमरपुर रोड काले वाले घाट पर रपटा एवं सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	590	142.45	36.00	ग्रा0अ0वि0
67	ग्राम जहानपुरा में मुख्य मार्ग पर सराफत के मकान से प्रा0वि0 नं0-2 की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य	300	44.93	11.00	ग्रा0अ0वि0
68	ग्राम नाईनंगला नवीन में पंचायक घर से मुस्तकीम के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	405	40.37	10.00	ग्रा0अ0वि0
69	ग्राम पंथुपुरा में गाँव के अन्दर संजय के मकान से होते हुए किशन डीलर के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	210	20.54	5.00	ग्रा0अ0वि0
70	विकास खण्ड सरसावा के ग्राम चौरा खुर्द में राशिद के मकान से इरफान के मकान तक व इफजाल के मकान से सरवर के मकान तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	345	27.11	7.00	ग्रा0अ0वि0
71	विकास खण्ड सरसावा के ग्राम दभहेडा कलां में कब्रिस्तान से पठेड-नानौली मार्ग की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	500	35.37	9.00	ग्रा0अ0वि0
72	विकास खण्ड सरसावा के ग्राम दुमझेडा में शमशाद के मकान से जाहिद के मकान तक व ताहिर के मकान से हनीफ की बैठक तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य। 305 मीटर	305	34.26	9.00	ग्रा0अ0वि0
73	विकास खण्ड सरसावा के ग्राम दूधगढ में फारूख मिस्त्री के मकान से अमरनाथ के मकान तक व जहीर के मकान से मस्जिद तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	170	12.07	3.00	ग्रा0अ0वि0
	योग:	**27774**	**2219.15**	**558.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **558.00 लाख** को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:39/2026/516(1)/35-4-2026/35-4002(003)/65/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, सहारनपुर मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, शामली।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शामली।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शामली।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, शामली।
16-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।